राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–मु.स.प्र. / 2020 / 1478 दिनांकः– 03/3/2020

उप आवासन आयुक्त,
राज.आवासन मण्डल,
वृत्त–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जयपुर,
वृत्त–प्रथम / द्वितीय, जोधपुर
वृत्त–कोटा / अलवर / उदयपुर / बीकानेर।

विषयः–बुधवार नीलामी उत्सव के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को किराया क्रय पद्धति के तहत आवास आवंटन के व्यापक प्रचार–प्रसार, हेल्प डेस्क की स्थापना एवं मौका निरीक्षण कराने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेशभर में राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास / फ्लैटों के निस्तारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों / अधिकारियों को बुधवार नीलामी उत्सव के तहत 13 वर्ष की आसान (156 किश्त) किश्तों में **50 प्रतिशत** तक की भारी छूट में आवास / फ्लैट्स निस्तारित किये जाने है। इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार निम्नानुसार सुनिश्चित किया जावें:–

1. कार्यालय में बोलीदाता / कर्मचारियों व अधिकारियों (Prospective Buyer) की सुविधा हेतु एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जावे, जिस पर चिन्हित मण्डल कार्मिक उपलब्ध रहें।
2. व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उचित संख्या में कार्यालय परिसर में बाहर व अन्दर तथा संबंधित आवासीय योजना / अपार्टमेंट्स में भी मुख्य स्थानों पर पर्याप्त संख्या में डिस्पले बोर्ड / होर्डिंग कम से कम 10X10 फीट आकार में लगाये जायें।
3. योजना से सम्बन्धित शहरों में भी प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगवाये जाएें। होर्डिंग का डिजाईन जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
4. आगन्तुकों के बैठने हेतु कुर्सियों सहित पेयजल एवं जलपान की उचित व्यवस्था की जावें।
5. बोलीदाता / Prospective Buyer को मौका–मुआयना की सुविधा उपलब्ध करवाई जावें। सरकारी कार्मिको तथा अधिकारियों के लिए शनिवार व रविवार को विशेष व्यवस्था रखी जावें।
6. आवासन मण्डल (मुख्यालय) में नागरिक सेवा केन्द्र में कॉल सेन्टर पूर्व की भांति संचालित किया जावेगा जो कि संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) के अधीन कार्य करेगा।
7. आगामी दिवसों में प्रीमियम प्रोपर्टी के तहत खुली नीलामी हेतु प्रस्तावित महत्वपूर्ण सम्पत्तियां (Premium Property) की सूचना (10X10 फीट) के फ्लेक्स होर्डिंग नीलामी स्थल पर नीलामी दिनांक से 7 दिवस पूर्व लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–................................, रा0आ0म0, ... (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), / विपणन शाखा, रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D/DRB/OFFICE ORDER